पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 70/2021

1. संजय मेहरिया पुत्र स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. अनिष मेहरिया पुत्र स्व0 कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।

:–वादीगण

ब ना म

1. रामपाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. रमेश पुत्री रामपाल जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. सरस्वती पत्नी स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
5. गीता पत्नी स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
6. सोनिका पुत्री स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
7. मोनिका पुत्री स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री गुरनामसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 538/517 के खसरा सं0 550 की 7.132है0 खसरा स0 553/1 की 4.299है0 कुल 11.431है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 रामपाल की बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामपाल बहिस्सा बराबर के अनुसार व रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 96/97 के खसरा सं0 128 की 0.936है0 खसरा सं0 195 की 2.024है0 खसरा सं0 210/1 की 2.392है0 कुल 5.352है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी व रोही शेरडा के खाता सं0 213/39 के खसरा सं0 531 की 2.858है0 खसरा सं0 533 की 4.641है0 कुल 7.499है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 148–1/4 हिस्सा में 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामपाल का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/07/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 70/2021

1. संजय मेहरिया पुत्र स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. अनिष मेहरिया पुत्र स्व0 कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. रामपाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. रमेश पुत्री रामपाल जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. सरस्वती पत्नी स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री स्व0 जगतसिंह जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
5. गीता पत्नी स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
6. सोनिका पुत्री स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
7. मोनिका पुत्री स्व0 कुलदीप जाति जाट निवासी मेहरिया त0 भादरा।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री गुरनामसिंह : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 20/07/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 538/517 के खसरा सं0 550 की 7.132है0 खसरा स0 553/1 की 4.299है0 कुल 11.431है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 96/97 के खसरा सं0 128 की 0.936है0 खसरा सं0 195 की 2.024है0 खसरा सं0 210/1 की 2.392है0 कुल 5.352है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी व रोही शेरडा के खाता सं0 213/39 के खसरा सं0 531 की 2.858है0 खसरा सं0 533 की 4.641है0 कुल 7.499है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 148–1/4 हिस्सा में 1/4 हिस्सा तथा इसी प्रकार रोही मेहरिया के खाता सं0 85/7 के खसरा सं0 142 ता 145, 208, 209, 214, 215, 227, 234, 235, 271 की कुल 22.253है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा किशनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किशनाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बुधराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से दावा की रकी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 संजय मेहरिया पुत्र स्व0 जगतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2077–80 प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी रोही शेरड़ा संवत 2075–78 प्रदर्श 3 व 4 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र कुलदीप प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र जगतसिंह प्रदर्श 7 जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2057 प्रदर्श 8 व जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2056 प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मेहरिया व शेरड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2077–80 प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी रोही शेरड़ा संवत 2075–78 प्रदर्श 3 व 4 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र कुलदीप प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र जगतसिंह प्रदर्श 7 जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2057 प्रदर्श 8 व जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2056 प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण के अनुसार रामपाल के दो पुत्र स्व0 जगतसिंह व स्व0 कुलदीपसिंह (जिसमें जगतसिंह के जायज वारिसान वादी संजय मेहरिया व प्रतिवादी सं0 3 ता 4, तथा स्व0 कुलदीपसिंह के जायज वारिसान में वादी सं0 2 अनिप मेहरिया व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 के रूप में पक्षकार है।) एक पुत्री रमेश तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रदर्श 8 व 9 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। चूकिं रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 85/7 की वाद भूमि पैतृक होना सावित नहीं है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 538/517 के खसरा सं0 550 की 7.132है0 खसरा स0 553/1 की 4.299है0 कुल 11.431है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 रामपाल की बजाय वादीगण

Scanned with CamScanner

व प्रतिवादी सं0 1 रामपाल बहिस्सा बराबर के अनुसार व रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 96/97 के खसरा सं0 128 की 0.936है0 खसरा सं0 195 की 2.024है0 खसरा सं0 210/1 की 2.392है0 कुल 5.352है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी व रोही शेरडा के खाता सं0 213/39 के खसरा सं0 531 की 2.858है0 खसरा सं0 533 की 4.641है0 कुल 7.499है0 में प्रतिवादी रामपाल के नाम 148–1/4 हिस्सा में 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामपाल का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। .

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner